Magnum Ventures Limited

CIN: L21093DL1980PLC010492

Registered Office: HNO-MN01, Hub and Oak, E-14, Lower Ground Floor, Defence Colony,

New Delhi-110024 Phone: +91-11-42420015

E-mail: info@magnumventures.in Website: www.magnumventures.in

Date: 16th September, 2023

Department of Corporate Services	Department of Corporate Communications
BSE Limited	National Stock Exchange India Limited
Phiroze JeeJeebhoy Towers,	Exchange Plaza, C-1, Block G, Bandra-Kurla
Dalal Street, Fort	Complex, Bandra(E)
Mumbai-400001	Mumbai-400 051

Subject: Intimation of Newspaper advertisement of 3rd Corrigendum for Notice of AGM

Ref: Scrip Code BSE: 532896 NSE: MAGNUM

Dear Sir/ Madam,

Pursuant to requirement of Regulation 30 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please find enclosed herewith the copy of newspaper advertisement with respect to 3rd Corrigendum for Notice of 43rd Annual General Meeting, published in the following newspapers dated 16th September 2023:

- 1. Financial Express— English newspaper
- 2. Jansatta Hindi newspaper

Kindly take the same on your records.

Thanking You Yours Sincerely, For Magnum Ventures Limited



Aaina Gupta Company Secretary cum Compliance Officer

प्रपत्र सं. आईएनसी-25ए सार्वजनिक कम्पनी का प्राईवेट कम्पनी में रूपांतरण के लिये समाचार पत्र में प्रकाशन के लिये विज्ञापन क्षेत्रीय निदेशक, कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय, नई दिल्ली

क्षेत्र के समक्ष कम्पनी अधिनियम, 2013, कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 14 तथा कम्पनी (निगमन) नियमावली, 2014 के नियम 41 के मामले में

मै. सिद्धार्थ एंड गौतम एण्टरप्राईजेज लिमिटेड जिसका पंजीकृत कार्यालय डीएससी 159, प्लॉट नं. ए-1, साकेत डिस्ट्रिक्ट सेन्टर, नई दिल्ली-110017 में है, के मामले में। एतदृद्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यह कम्पनी उपरोक्त नियमावली के साथ पठित कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 14 के अंतर्गत केंद्र सरकार के पास एक आवेदन करने के लिये इच्छुक है तथा ऐसे रूपांतरण को प्रभावी करने के लिये कम्पनी को सक्षम बनाने के लिए 10 अगस्त, 2023 को आयोजित असाधारण आमसभा में पारित विशेष प्रस्ताव के अनुसार कंपनी को एक प्राईवेट लिमिटेड कम्पनी में रूपांतरित करने के लिए इच्छुक है। कंपनी की स्थिति में इस प्रस्तावित परिवर्तन से यदि किसी व्यक्ति का हित प्रभावित होता हो, वे उसके नीचे वर्णित पते पर पंजीकृत कार्यालय में आवेदक कंपनी को उसकी एक प्रति के साथ इस सचना के प्रकाशन की तिथि से चौदह दिनों के भीतर अपने हित की प्रकृति तथा आपत्ति के कारणों का उल्लेख करते हुए एक शपथ पत्र द्वारा समर्थित अपनी आपत्ति क्षेत्रीय निदेशक बी-2 विंग, 2रा तल, पर्यावरण भवन, सीजीओ कॉम्प्लैक्स, नई दिल्ली-110003 में जमा करें या जमा कराएं या पंजीकत डाक से भेजें। आवेदक के लिये तथा उसकी ओर से हस्ता.

> अविनाश भगत DIN: 00891573 डीएससी 159, प्लॉट नं. ए-1, साकेत डिस्ट्विट सेन्टर, नई दिल्ली-110017

मेग्नम वेचर्स लिमिटेड सीआईएन : L21093DL1980PLC010492 पंजीकृत कार्यालयः एचएनओ-एमएन ०१ हब और ओक, ई -14, लोअर ग्राउंड फ्लोर डिफेंस कॉलोनी, नई दिल्ली-110024 फोन: +91-11-42420015 ईमेल : info@magnumventures.in वेबसाईट : www.magnumventures.in

43वीं वार्षिक आम बैठक की सूचना

का तीसरा शुद्धिपत्र तीसरा शुद्धिपत्र कंपनी की 43वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएमें) के लिए 21 अगस्त 2023 के नोटिस के संदर्भ में जारी किया जा रहा है, जो बुधवार, 20 सितंबर 2023 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी) के माध्यम से आयोजित किया जाना है ।

कंपनी के शेयरधारकों से अनुरोध किया जाता है कि वे नोटिस की कार्यसूची/मद संख्या ह के संबंध में दिखाई देने वाले सुधारों और कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 102 वे अनुसरण में संबंधित व्याख्यात्मक विवरण, जो (http://www.magnumventures.in/pdf/3rd-Corrigendum-to-Notice-of-AGM.pdf) पर उपलब्ध है. को नोट करें। यह शद्धिपत्र कंपनी की वेबलाइट

www.magnumventures.in और में बीएसई लिमिटेड www.bseindia.com और www.nseindia.com पर एनएसई लिमिटेड की वेबसाइट पर भी उपलब्ध है।

43वीं वार्षिक आम बैठक की सूचना और शुद्धिपत्र संख्या 1 और 2 की अन्य सभी सामग्री पहले की तरह ही रहेंगी। मैग्नम वेंचर्स लिमिटेड के लिए

हस्ता/-तिथि : 15.09.2023 प्रदीप कुमार जैन प्रबंध निदेशक स्थान: गाजियाबाद

दिनांक : 16-09-2023

स्थान : फरीदाबाद

आईडीएफसी फस्टे बैंक लिमिटेड

(पूर्वतः कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड तथा आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित)

सीआईएन : एल65110टीएन2014पीएलसी097792 **पंजीकृत कार्यालय :** केआरएम टावर्स, 8वां तल, हैरिंगटन रोड, चेटपेट, चेन्नई-600031. फोन : +91-44 4564 4000. फैक्स : +91 44 4564 4022

IDFC FIRST

IDFC FIRST

सार्वजनिक सूचना स्वर्ण नीलामी सह आमंत्रण सूचना

निम्नलिखित कर्जदार को उसके द्वारा आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड से स्वर्ण आभूषणों के ऐवज में प्राप्त की गई क्रेडिट सुविधा के संबंध में बकाया राशि के भुगतान के लिए सूचनाएं जारी की गई थीं। चूंकि कर्जदार सुविधा के तहत बकाया राशि चुकाने में असफल रहा है। हम बंधक रखे स्वर्ण आभूषणों की नीलामी 26-09-2023 को संचालित करने हेतु विवश हैं। इस नीलामी से अतिरिक्त राशि प्राप्त होने की दशा में, अतिरिक्त राशि संबंधित कर्जदार को लौटा दी जाएगी और यदि नीलामी से पूरी बकाया राशि की वसूली नहीं हो पाती है, तो कर्जदार से उसकी वस्ती उपयुक्त कानुनी कार्यवाही के माध्यम से की जाएगी। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड को बिना पूर्व सूचना दिए निम्नलिखित खाते को नीलामी से हटाने का अधिकार सुरक्षित है। इसके अतिरिक्त, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड का बिना पूर्व सूचना दिए नीलामी की तिथि परिवर्तित करने का अधिकार भी सरक्षित है।

	grain e i	8
ऋण खाता संख्या	ग्राहक का नाम	शाखा का नाम
108021152	युधवीर सिंह	गुरूग्राम सेक्टर इकतीस शाखा

नीलामी 26 सितम्बर, 2023 को दोपहर 12.00 बजे से अप. 3.00 बजे तक https://egold.auctiontiger.net के माध्यम से संचालित की जाएगी। इस प्रकाशन द्वारा संबंधित कर्जदार को एतदद्वारा निरस्त सुविधा की बकाया राशि का भूगतान सभी ब्याज और प्रभारों के साथ नियत नीलामी तिथि से पहले चुकाने का अंतिम अवसर प्रदान किया जाता है, जिसमें असफल रहने पर स्वर्ण आभूषणों की नीलामी की जाएगी। कृपया नोट करें कि, यदि समय सीमा के कारण नीलामी उसी दिन पूरी नहीं हो पाती है तो बैंक बंधक स्वर्ण आभूषणों की नीलामी उन्हीं नियमों एवं शर्तों पर अगले 7 के भीतर की जाएगी। यदि ग्राहक की मृत्यु हो चुकी है, तो उस पर लागू सभी शर्तें उसके वारिसों पर लाग होंगी।

तिथि : 16-09-2023, स्थान : गुरूग्राम

आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड

(पूर्व में कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ संविलित और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में अभिज्ञात)

सीआईएन : एल65110टीएन2014पीएलसी097792

पंजीकृत कार्यालय : केआरएम टॉवर्स, 8वां तल, हैरिंगटन रोड, चेटपेट, चेन्नई—600031

दूरभाष : 91 44 4564 4000, फैक्स : 91 44 4564 4022

वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पूनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 13(2) के अंतर्गत सूचना निम्नलिखित ऋणकर्ताओं और सह—ऋणकर्ताओं ने आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्व में कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ संविलित और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में अभिज्ञात) से निम्न वर्णित प्रतिभूत ऋण प्राप्त किए थे। निम्न–वर्णित ऋणकर्ताओं और सह—ऋणकर्ताओं के ऋणों को उनकी संबंधित संपत्तियों के बंधक द्वारा प्रतिभृत किया गया है। चूंकि वे संबंधित ऋणानुबंधों के नियमों एवं शर्तों का पालनानुपालन करने में विफल हो चुके थे और अनियमित हो चुके थे, अतः उनके ऋण खाता को आरबीआई दिशानिर्देशों के अनुसार एनपीए के रूप में वर्गीकृत कर दिया गया था। और इस प्रकार, उनकी ओर से आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्व में कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ संविलित और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में अभिज्ञात) को देय–भृग्तेय धनराशियों को संबंधित निर्गत सूचनाओं के अनुसार अंकित किया गया है, जो अधिक विशिष्ट रूप में निम्नलिखित तालिका में सांकित हैं और उक्त धनराशियों पर भावी ब्याज भी लागू होगा और ब्याज जो है वह उनकी संबंधित तिथियों से प्रभावी संविदागत दर के अनुसार प्रभारित किया जायेगा।

क्र. सं.	ऋण खाता सं.	ऋण का प्रकार	ऋणकताओ एव सह—ऋणकर्ताओं के नाम	धारा 13(2) सूचना तिथि	भारा 13(2) सूचना के अनुसार बकाया राशि	सपात्त पता
1.	15674733	संपत्ति के समक्ष ऋण	1. मनोज कुमार 2. मीनू भूदेव	12.07.2023	6,92,212.41 / —	भूमि के भूखंड के समस्त वह भाग तथा अंश जिसकी माप 373 वर्ग गज है जो लाल डोरा की आबादी, मौजा—नवादा तिगांव, तहसील— बल्लभगढ़, जनपद— फरीदाबाद, हरियाणा—121004 में स्थित तथा निम्नानुसार परिसीमित है : पूर्व— राजबीर पुत्र गोपीराम का क्षेत्र, पश्चिम— आम रास्ता, उत्तर— अतर सिंह पुत्र खचेडू का क्षेत्र, दक्षिण— गली।

आपको एतदद्वारा निर्देश दिया जाता है कि आप उपरोक्त तालिका में निदर्शित विवरणों के अनुसार आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्व में कैंपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ संविलित और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में अभिज्ञात) को बकाया धनराशियों का उनकी संबंधित तिथियों से धनराशियों पर गणनाकृत ब्याज की संविदागत दर पर ब्याज और अन्य लागतों, शुल्कों, इत्यादि के साथ, इस प्रकाशन की तिथि से 60 दिवसों में भुगतान कर दें। भुगतान करने में विफल रहने पर अधोहस्ताक्षरकर्ता जो हैं वे आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्व में कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ संविलित और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में अभिज्ञात) को देय-भुग्तेय धनराशियों की वसूली करने के लिए यहां इसमें उपरोक्त वर्णित बंधककृत संपत्तियों के विरुद्ध सरफॉएसि अधिनियम की धारा 13(4) एवं धारा 14 के अंतर्गत कार्रवाइयां प्रारंभ करने को बाध्य-विवश होंगे। इसके अतिरिक्त, आप पर उक्त अधिनियम की धारा 13(13) के अंतर्गत प्रतिबंध लगाया जाता है कि आप उक्त प्रतिभूत परिसंपत्तियों का विक्रय / पट्टा के माध्यम से अथवा अन्यथा हस्तांतरण

> हस्ता. 🖊 -प्राधिकृत अधिकारी आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्व में कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ संविलित और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में अभिज्ञात)

Chola

चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट ऐण्ड फायनेंस कम्पनी लिमिटेड

कार्पोरेट कार्यालय: "चोला क्रेस्ट", सी 54 एवं 55, सुपर बी-4, थिरू वी का इंडस्ट्रियल एस्टेट, गिन्डी, चेन्नई-600032 शाखा कार्यालय: एससीओ-9, सेक्टर-25 फेज-1, मलिक पेट्रोल पम्प के पीछे, ट्रांसपोर्ट नगर, पानीपत, हरियाणा-132103, **शाखा कार्यालय**: एस.सी.ओ. 350-351-352, तृतीय तल, सेक्टर-34-ए, चंडीगढ़-160022. **ठॉन्टैक्ट नंबर : श्री तनुज शर्मा - मोबाइल नंबर 93162-54005**

अचल सम्पित्तियों की बिक्री के लिए ई—नीलामी बिक्री सूचना वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के साथ पठित प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 9(1) के परंतुक के तहत अचल आस्तियों की बिक्री के लिए ई–नीलामी बिक्री सूचना। एतदद्वारा सर्वसाधारण को और विशेष रूप से कर्जदार/सह–कर्जदार/बंधकदता(ओं) को सूचना दी जाती है कि प्रतिभूत लेनदार के पास बंधक निम्नवर्णित अचल सम्पत्तियां, जिनका **भौतिक कब्जा** चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट ऐण्ड फायनैंस कम्पनी लिमिटेड इसमें आगे चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट ऐण्ड फायनैंस कम्पनी लिमिटेड कही जाएगी, के प्राधिकृत अधिकारी

द्वारा लिया जा चुका है। प्रतिभूत आस्तियां "जैसा है जहां है", "जो है जैसा है" तथा "जो भी है वहां हे" आधार पर ई—नीलामी के माध्यम से बेची जाएंगी। एतदद्वारा सर्वसाधारण को सूचना दी जाती है कि हम ई-नीलामी का संचालन वेबसाइट https://chola-lap.procure247.com के माध्यम से करेंगे। धारा 13(2) के तहत सम्पत्ति / सम्पत्तियों का वर्णन सुरक्षित मूल्य, धरोहर खाता संख्या तथा कर्जदार. ई-नीलामी की तिथि एवं राशि जमा एवं बोली समय, ईएमडी जमा की सह-कर्जदार, बंधकदाताओं का नाम मांग सूचना की तिथि एवं राशि वृद्धि राशि (रू. में) अंतिम तिथि, निरीक्षण की तिथि ऋण खाता सं. X0HEPAN00001707840 श्रीमती सुषमा मित्तल पत्नी महावीर प्रसाद 04-10-2023 17-07-2020 रू. 1,10,50,000 / -1. विवेक मित्तल पुत्र महावीर प्रसाद मित्तल मित्तल के नाम मकान नंबर 26, देव नगर, पर्वा. 11.00 बजे से ক. 11,05,000 ∕ − 2. कामिनी मित्तल पत्नी विवेक मित्तल निकट परमहंस कृटिया तहसील और जिला रू. 1,00,000 ∕ — अप. 01.00 बजे तक 1,04,74,885.78 / -3. महावीर प्रसाद मित्तल

पानीपत, हरियाणा स्थित सम्पत्ति परिमाप 03-10-2023 28-02-2020 4. सुशान मित्तल पत्नी महावीर प्रसाद मित्तल पूर्वा. 10.00 बजे से तक तथा उस पर 172 वर्ग गज। चौहददी :- उत्तर : 29, रवीन्द्र कुमार गुलाटी का सभी निवासी - मकान. नंबर 26, देवी नगर, पानीपता-132103 आगे ब्याज एवं अप. 05.00 बजे तक मकान नंबर 13, दक्षिण : 30" गली, पूरब : 52", संजय कुमार का 5. मैसर्स अग्रवाल एंटरप्राइजेज भेंट के निर्धारित समयानुसार मकान नंबर 25, पश्चिम : 52'6', मकान नंबर 27 तहसील और जिला इसके स्वामी विवेक मित्तल द्वारा प्रतिनिधित्वकृत पानीपत. हरियाणा मकान नंबर 26, देवी नगर, पानीपत-132103 यह सूचना प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 9(1) के तहत बिक्री के संबंध में 15 दिन का कानूनी नोटिस भी है

. सभी इच्छुक प्रतिभागियों / बोलीदाताओं से वेबसाइट https://chola-lap.procure247.com/ एवं https://www.cholamandalam.com/auction-notices देखने का अनुरोध है। विस्तृत विवरण, सहायता, प्रक्रिया और ई–नीलामी पर ऑनलाइन प्रशिक्षण के लिए प्रत्याशी बोलीदाता सम्पर्क करें (मुहम्मद रहीस – 81240 00030), Ms.procure247; सम्पर्क करें श्री अल्पेश

बोरिसा सेल नंबर 7046612345 / 9898056524, ई-मेल आईडी : alpesh@procure247.com, suraj@tender247.com, parin@tender247.com

2. ई—नीलामी में भाग लेने के लिए नियम और शर्तों के बारे में अतिरिक्त विवरण के लिए कृपया https://chola-lap.procure247.com/ एवं https://cholamandalam.com/auction-notices देखें।

.....भरोसे का प्रतीक

दिनांक : 16-09-2023, स्थान : चंडीगढ / पानीपत चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट ऐण्ड फायनैंस कम्पनी लिमिटेड

Can Fin Homes Ltd Sponsor: CANARA BAN SECTION OF THE S

केन फिन होम्स लि.

ऑफिस नं. 02, द्वित्तीय तल, प्लॉट सं. बी-1, कासना टॉवर, अल्फा-1, कामर्शियल बेल्ट, ग्रेटर नोएडा (यू.पी.) पिन-201308 मोबाइल सं : 7625079164, 0120-4569974 ई-मेल: greaternoida@canfinhomes.com, CIN: L85110KA1987PLC008699

वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम २००२ (सरफासी ऐक्ट) की धारा १३(२) के साथ पठित प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियमावली, २००२ (नियमावली) के नियम ३(१) के अधीन

जबिक अधोहस्ताक्षरी ने, केन फिन होम्स लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में, सरफासी ऐक्ट के अधीन और उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के साथ पठित नियम 3 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अधीन मांग सचना जारी की थी. जिसमें यहां नीचे सचीबद्ध कर्जदारों / गारंटरों (इसमें आगे "उक्त कर्जदार" कहे गए हैं) से सूचना में वर्णित राशियां, जिसका विवरण नीचे दिया गया है, सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिन के भीतर चुकाने की मांग की गई थी।

उक्त सूचनाएं डाक अधिकारियों द्वारा अवितरित के रूप में लौटा दी गई हैं / कर्जदारों द्वारा सम्यक् प्राप्त नहीं की गई हैं। अतएव कम्पनी पूर्ण सावधानी के साथ यह मांग सूचना प्रकाशित करव रही है [नियम 3(1) के प्रावधानों के अनुसार]। अधोहस्ताक्षरी द्वारा, अतएव, ये सूचनाएं, उक्त अधिनियम के अनुसार, उक्त कर्जदारों के अंतिम ज्ञात पतों के परिसर पर चस्पा करवा दी गई हैं।

क्र. सं.		मांग सूचना की तिथि	मांग सूचना के अनुसार दावित राशि*	प्रतिभूति आस्ति का वर्णन	एनपीए क तिथि
	1. श्री गौरव कुमार पुत्र रामवीर सिंह (कर्जदार), ए—201, लाजपत नगर साहिबाबाद जिला— गाजियाबाद, यूपी—201005 अन्य पताः गली नंबर— 05, संपत्ति नंबर—23, दूसरी मंजिल खसरा नंबर—03, ग्रीन मंडोस ओम नगर अर्थला लोनी, जिला—गाजियाबाद, उ.प्र.—201102 2. श्री किपल पुत्र रामवीर सिंह (सह—कर्जदार), ए—201, लाजपत नगर साहिबाबाद जिला— गाजियाबाद, यूपी—201005 अन्य पताः गली नंबर—05, संपत्ति नंबर—23, दूसरी मंजिल खसरा नंबर—03, ग्रीन मंडोस ओम नगर अर्थला लोनी जिला— गाजियाबाद, उ.प्र.—201102		30.08.2023 के अनुसार	गली नंबर— 05, संपत्ति नंबर—23, सुपर एरिया के साथ दूसरी मंजिल 1080 वर्गफीट है। 120 वर्ग गज खसरा नंबर—03, ग्रीन मंडोस ओम नगर अर्थला लोनी जिला—गाजियाबाद, यूपी—201102 भूमि पर निर्मित संपत्ति की सीमाएँ निम्नानुसार हैं उत्तरः प्लॉट नंबर—22, दक्षिणः प्लॉट नंबर 24 पूर्वः अन्य प्लॉट, पश्चिमः सड़क 40 फीट चौड़ी	
2.	1. श्री मुजफ्फर जमील पुत्र जफर जमील (उधारकर्ता), पहली मंजिल, संपत्ति संख्या—15 / 196—197, त्रिलोक पुरी, दिल्ली—110091 अन्य पताः संपत्ति संख्या—जे—20 की छत के अधिकार के साथ दूसरी मंजिल खसरा नंबर—1462, बालाजी एन्क्लेव गांव—रईसपुर, परगना डासना जिला गाजियाबाद—यूपी 2. श्रीमती अंजुम इकबाल पत्नी मुजफ्फर जमील (सह—उधारकर्ता), पहली मंजिल, संपत्ति संख्या—15 / 196—197, त्रिलोक पुरी, दिल्ली—110091 अन्य पताः संपत्ति संख्या—जे—20 की छत के अधिकार के साथ दूसरी मंजिल खसरा नंबर—1462, बालाजी एन्क्लेव गांव—रईसपुर, परगना डासना जिला गाजियाबाद—यूपी 3. प्रवेश कुमार (गारंटर) ई—28 / 246, ब्लॉक 18 इन्द्र केम्प कल्यानपुर पूर्वी दिल्ली—110091 मोबाईलः 88512921278			संपत्ति संख्या—जे—20 खसरा संख्या—1462, बालाजी एन्क्लेव गांव—रईसपुर, परगना डासना जिला गाजियाबाद—यूपी की छत के अधिकार के साथ दूसरी मंजिल, भूखंड क्षेत्र 60 वर्ग गज पर निर्मित। संपत्ति की सीमाएँ इस प्रकार हैं: उत्तर : प्लॉट नं. जे—20ए, दक्षिणः प्लॉट नं. जे—19, पूर्वः रास्ता 20 फीट चौड़ा, पश्चिमः दूसरे मालिक का प्लॉट	
	श्री राजीव चौहान पुत्र विजय पाल सिंह (कर्जदार), मकान नंबर 93, औद्योगिक क्षेत्र राजेंद्र नगर जिला— गाजियाबाद, यूपी—201005 अन्य पताः फ्लैट नंबर— ए—1 / 1404, 14वीं मंजिल ब्लॉक बी—1 फ्लेमिंग्स सेवियर पार्क मोहन नगर जिला— गाजियाबाद, यूपी—201005		30.08.2023 के अनुसार	पलैट नंबर— ए—1 / 1404, 14वीं मंजिल ब्लॉक बी—1 पलेमिंग्स सेवियर पार्क मोहन नगर जिला— गाजियाबाद, यूपी—201005 संपत्ति की सीमाएं इस प्रकार हैं: उत्तरः खुला, दक्षिणः ए2 / 1404 पूर्वः मार्ग, पश्चिमः खुला	
4.	1. श्री सचिन चौधरी पुत्र गजराज सिंह (कर्जदार), बयाना, डासना जिला—गाजियाबाद, यूपी—201001 अन्य पताः फ्लैट नंबर—यूजीएफ—1 अपर ग्राउंड फ्लोर प्लॉट नंबर—जी—79 खसरा नंबर—1458 बालाजी एन्क्लेव—1 रईसपुर परगना — डासना जिला— गाजियाबाद, उ.प्र.—201015 2. श्रीमती गीता पत्नी गजराज सिंह (सह—कर्जदार), बयाना, डासना जिला—गाजियाबाद, यूपी—201001 अन्य पताः फ्लैट नंबर—यूजीएफ—1 अपर ग्राउंड फ्लोर प्लॉट नंबर—जी—79 खसरा नंबर—1458 बालाजी एन्क्लेव—1 रईसपुर परगना— डासना जिला— गाजियाबाद, उ.प्र.—201015 3. प्रवीण चौहान (गारंटर) खसरा सं. 1457, प्लॉट सं. —जी—100 फ्लैट 101, बालाजी एंक्लेव रईसपुर			फ्लैट नंबर—यूजीएफ—1 ऊपरी ग्राउंड फ्लोर प्लॉट नंबर—जी—79 खसरा नंबर—1458 बालाजी एन्क्लेव —1 कवर्ड एरिया 540वर्गफुट रईसपुर परगना— डासना जिला— गाजियाबाद, यूपी—201015 है संपत्ति की सीमाएँ निम्नानुसार हैं उत्तरः प्लॉट नंबर—यूजीएफ—2, दक्षिणः प्लॉट नंबर 78, पूर्वः सड़क 25 फीट चौड़ी, पश्चिमः अन्य भूखंड	•
5.	 श्री अमर सिंह शर्मा पुत्र सामिलया (कर्जदार), मकान नंबर 92, हलपुरा शिकारपुर बुलन्दशहर यूपी—202395 अन्य पताः प्लॉट नंबर—17, 18, 19 खसरा नंबर—510, झाझर बुलन्दशहर यूपी—203395 श्रीमती सर्वेश शर्मा पत्नी अमर सिंह शर्मा (सह—कर्जदार), मकान नंबर 92, हलपुरा पोस्ट शिकारपुर बुलंदशहर यूपी—202395 अन्य पताः प्लॉट नंबर—17, 18, 19 खसरा नंबर—510, झाझर बुलंदशहर यूपी—203395 राकेश शर्मा (गारंटर) ए—31 अल्फा—। ग्रेटर नोएडा जीबी नगर मोबाईल: 7859970324 			प्लॉट नंबर—17, 18, 19 खसरा नंबर—नंबर 510, झाझर बुलंदशहर यूपी—203395 संपत्ति की सीमाएँ निम्नानुसार हैं: उत्तरः लेआउट/साइट योजना के अनुसार, दक्षिणः लेआउट/साइट योजना के अनुसार, पूर्वः लेआउट/साइट योजना के अनुसार, पश्चिमः लेआउट/साइट योजना के अनुसार	
6.	1. श्री ज्ञानेंद्र कुमार शर्मा पुत्र नरेंद्र पाल शर्मा (कर्जदार), जी-461 अल्फा 1 जीआर नोएडा जीबी नगर यूपी-201308 अन्य पताः प्लॉट नंबर-26, 27 और 28, गेट नंबर-520, गांव झाझर बुलंदशहर यूपी-203135 2. श्रीमती अरुणा शर्मा पत्नी ज्ञानेंद्र कुमार शर्मा (सह-कर्जदार), जी-461 अल्फा 1 जीआर नोएडा जीबी नगर यूपी-201308 अन्य पताः प्लॉट नंबर-26, 27 और 28, गेट नंबर-520, गांव झाझर बुलंदशहर यूपी-203135 3. इशान्त शर्मा (गारंटर) यू-23, गली सं. 1 अरविन्द नगर दिल्ली-110053 मोबाईलः 9999091123			प्लॉट नंबर— 26,27 और 28, गेट नंबर—520, ग्राम झाझर बुलंदशहर यूपी—203135 संपत्ति की सीमाएं इस प्रकार हैं: उत्तरः लेआउट/साइट योजना के अनुसार, दक्षिणः लेआउट/साइट योजना के अनुसार, पूर्वः लेआउट/साइट योजना के अनुसार, पश्चिमः लेआउट/साइट योजना के अनुसार	
7.	1. श्री प्रेम प्रकाश शर्मा पुत्र स्वर्गीय बासुदेव शर्मा (कर्जदार), सर्रे पुख्ता शिकारपुर बुलन्दशहर यूपी—202395 अन्य पताः प्लॉट नंबर— 23,24,25,29,30 और 31 खसरा नंबर 510 ग्राम झाझर बुलन्दशहर यूपी—203135 2. श्रीमती आशा शर्मा पत्नी प्रेम प्रकाश शर्मा (सह—कर्जदार), सर्रे पुख्ता शिकारपुर बुलन्दशहर यूपी—202395 अन्य पताः प्लॉट नंबर—23,24,25,29,30 और 31 खसरा नंबर 510 ग्राम झाझर बुलन्दशहर यूपी—203135 3. मुकेश शर्मा (गारंटर) सी—102, डेल्टा 1, ग्रेटर नोएडा जीबी नगर मोबाइल: 9811674901			प्लॉट नंबर— 23,24,25,29,30 और 31 खसरा नंबर 510 ग्राम झाझर बुलंदशहर यूपी—203135 संपत्ति की सीमाएं इस प्रकार हैं: उत्तरः लेआउट/साइट योजना के अनुसार, दक्षिणः लेआउट/साइट योजना के अनुसार, पूर्वः लेआउट/साइट योजना के अनुसार, पश्चिमः लेआउट/साइट योजना के अनुसार	; ;
8.	1. श्री राम सेवक पुत्र राम कुमार (कर्जदार), मकान नंबर 51, शिकारपुर बुलंदशहर यूपी—202395 अन्य पताः प्लॉट नंबर—20, 21, और 22, गेट नंबर—510, ग्राम झाझर बुलंदशहर यूपी—203135 2. श्रीमती यशोदा पत्नी राम सेवक (सह—कर्जदार), मकान नंबर 51, शिकारपुर बुलंदशहर यूपी—202395 अन्य पताः प्लॉट नंबर—20, 21, और 22, गेट नंबर—510, ग्राम झाझर बुलंदशहर यूपी—203135 3. सुनील बंसल (गारंटर) सी / 82 बीटा 1, ग्रेटर नोएडा जीबी नगर, मोबाईल 9891912680			प्लॉट नंबर— 20,21, और 22, गेट नंबर—510, ग्राम झाझर बुलंदशहर यूपी—203135 संपत्ति की सीमाए इस प्रकार हैं: उत्तरः लेआउट/साइट योजना के अनुसार, दक्षिणः लेआउट/साइट योजना के अनुसार, पूर्वः लेआउट/साइट योजना के अनुसार, पश्चिमः लेआउट/साइट योजना के अनुसार	
9.	1. श्री विनोद कुमार पुत्र रघुवीर सिंह (कर्जदार), मकान ०६, सेक्टर २३, मांशी विहार शिव मंदिर के पास, गांव—धारगा परगना जलालाबाद, तहसील और जिला—गाजियाबाद, यूपी—201002 अन्य पताः आवासीय प्लॉट नंबर ०९ पर घर, खसरा नंबर ७४ न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी, गांव—धारगा परगना जलालाबाद, तहसील और जिला—गाजियाबाद, यूपी—201002 2. श्रीमती रचना पत्नी विनोद कुमार (सह—कर्जदार), मकान ०६, सेक्टर २३, मांशी विहार, शिव मंदिर के पास, गांव—धारगा परगना जलालाबाद, तहसील और जिला— गाजियाबाद, यूपी—201002 अन्य पताः आवासीय प्लॉट नंबर ०९, खसरा पर घर नंबर ७४ न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी, गांव—धारगा परगना जलालाबाद, तहसील और जिला— गाजियाबाद, यूपी—201002 3. चन्द्रावती कुमारी (गारंटर) मकान नं. ५० प्रथम तल, आई ब्लॉक निकट वाटर टैंक, सेक्टर ४१, नोएडा जीबी नगर—यूपी—201301 मोबाईलः ९५९९८४४३३०			आवासीय प्लॉट नंबर 09, खसरा नंबर 749, न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी, गांव— धारगल, परगना जलालाबाद, तहसील और जिला— गाजियाबाद, यूपी पर घर 80 वर्ग गज भूखंड पर निर्मित संपत्ति की सीमाएँ निम्नानुसार हैं उत्तर : खाली भूमि, दक्षिण : दूसरे की संपत्ति पूर्वः खाली भूमि, पश्चिमः सड़क 21' चौड़ी	

एतदुद्वारा आपसे उपरोक्त राशि का भुगतान उस पर संविदा दर पर ब्याज सहित इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 60 दिन के भीतर करने की मांग की जाती है, जिसमें विफल रहने पर अधोहस्ताक्षरी सरफासी ऐक्ट के अधीन उपरोक्त प्रतिभृति प्रवर्तित करने के लिए कार्यवाही प्रारंभ करने हेतू बाध्य होगा। इसके अतिरिक्त कर्जदारों / गारंटरों का ध्यान, प्रत्याभृत आस्तियों को छुड़ाने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में, अधिनियम की धारा 13(8) के प्रावधान की ओर आकृष्ट किया जाता है। तिथि: 15-09-2023 प्राधिकत अधिकारी स्थानः ग्रेटर नोएडा

पंजाब नैशनल बेंक punjab national bank

(A GOVERNMENT OF INDIA UNDERTAKING)

सर्किल सस्त्र सेंटर, पॉकेट-ई, मयूर विहार फेज-II, दिल्ली-110091,

ई-मेल : cs8075@pnb.co.in, दूरभाष : 011-22779758, 22785289

केन फिन होम्स लिमिटेड

अचल सम्पत्तियों की बिकी हेत बिकी सचना

	पिछले पृष्ट से					
ī		प्रतिभूत आस्तियों की अनुसूची				
गॉट सं.	शाखा का नाम खाते का नाम कर्जदार∕जमानितयों का नाम तथा पता खाता	सरफैसी अधिनियम, 2002 की धारा 13(2) के तहत माँग सूचना की तिथि मांग सूचना के अनुसार राशि सरफैसी अधिनियम, 2002 की धारा 13(4) के तहत कब्जा करने की तिथि कब्जे की प्रकृति सांकेतिक/भौतिक/रचनात्मक	बंधककर्ता∕स्वामी का नाम	आरक्षित मूल्य ईएमडी (ईएमडी जमा करने की अन्तिम तिथि) संविदा वृद्धि राशि	ई-नीलामी की तिथि⁄समय	प्रतिभूति क्रेडिटर के संज्ञान ऋणभारों का विवरण अधिकृत प्राधिकारी का नाम सम्पर्क नं.
	शा.का.ः खारी बावली, दिल्ली (012200) मैसर्स सेवा नंद रविंदर कुमार एंड कंपनी (कर्जदार) पताः 355-56, कटरा हुसैन बक्स, खारी बावली, पीतमपुरा, दिल्ली-110088 श्री विजेंदर कुमार बंसल (प्रोपराइटर/कर्जदार) - मैसर्स सेवा नंद रविंदर कुमार एंड कंपनी पताः 83, केयू ब्लॉक, विशाखा एन्क्लेव, पीतमपुरा, दिल्ली-110088। श्रीमती रिश्म बंसल (गारंटर) पताः 83, केयू ब्लॉक, विशाखा एन्क्लेव, पीतमपुरा, दिल्ली-110088	04.10.2021 रु. 52.55 लाख + पूर्ण एवं अन्तिम भुगतान तक भावी ब्याज, अन्य प्रभार तथा व्यय 07.12.2021 सांकेतिक	तीसरी मंजिल पर एक दुकान वाली संपत्ति जिसका निजी नंबर 388/305, मुख्य प्रवेश द्वार का उपयोग करने के सामान्य अधिकार के साथ-साथ छत तक बिना छत के अधिकार के, नगरपालिका संख्या 388 की दूसरी मंजिल तक सीढ़ियाँ, पहली मंजिल पर आम रास्ता और शौचालय, संपत्ति संख्या 388 का हिस्सा, भूमि के आनुपातिक हिस्से के साथ, मेन रोड, खारी बावली, दिल्ली, माप 202 वर्ग फीट, श्रीमती रिश्म बंसल के नाम पर	रु. 2.67 লাख (04.10.2023) रु. 25000/-	05.10.2023 को 11.00 बजे पूर्वा. से 04.00 बजे अप.	ज्ञात नहीं श्री एच.एस. कर्दम (मो. नं.8171589938) अधिकृत प्राधिकारी, सर्किल सस्त्र पूर्वी दिल्ली
	शा.का.ः खारी बावली, दिल्ली (012200) मैसर्स सेवा नंद रविंदर कुमार एंड कंपनी (कर्जदार) पताः 355–56, कटरा हुसैन बक्स, खारी बावली, पीतमपुरा, दिल्ली-110088 श्री विजेंदर कुमार बंसल (प्रोपराइटर/कर्जदार) - मैसर्स सेवा नंद रविंदर कुमार एंड कंपनी पताः 83, केयू ब्लॉक, विशाखा एन्क्लेव, पीतमपुरा, दिल्ली-110088। श्रीमती रिश्म बंसल (गारंटर) पताः 83, केयू ब्लॉक, विशाखा एन्क्लेव, पीतमपुरा, दिल्ली-110088	04.10.2021 रु. 52.55 लाख + पूर्ण एवं अन्तिम भुगतान तक भावी ब्याज, अन्य प्रभार तथा व्यय 07.12.2021 सांकेतिक	तीसरी मंजिल पर एक दुकान वाली संपत्ति जिसका निजी नंबर 388/304, सीढ़ी सं. III/388 द्वारा छत तक, सम्पत्ति सं. III/388 तथा 395 का हिस्सा, और प्रथम तल पर टॉयलेट का उपयोग करने के सामान्य अधिकार, टेरेस के अधिकार को छोड़कर, फ्रीहोल्ड भूमि का आनुपातिक हिस्सा, मेन रोड, खारी बावली, दिल्ली, माप 202 वर्ग फीट, श्री विजेन्दर कुमार बंसल के नाम पर	হ. 2.67 লাख (04.10.2023) হ. 25000/-	05.10.2023 को 11.00 बजे पूर्वा. से 04.00 बजे अप.	ज्ञात नहीं श्री एच.एस. कर्दम (मो. नं.8171589938) अधिकृत प्राधिकारी, सर्किल सस्त्र पूर्वी दिल्ली
	शा.का.ः खारी बावली, दिल्ली (012200) मैसर्स सेवा नंद रविंदर कुमार एंड कंपनी (कर्जदार) पताः 355–56, कटरा हुसैन बक्स, खारी बावली, पीतमपुरा, दिल्ली–110088 श्री विजेंदर कुमार बंसल (प्रोपराइटर⁄कर्जदार) – मैसर्स सेवा नंद रविंदर कुमार एंड कंपनी पताः 83, केयू ब्लॉक, विशाखा एन्क्लेव, पीतमपुरा, दिल्ली–110088। श्रीमती रिश्म बंसल (गारंटर) पताः 83, केयू ब्लॉक, विशाखा एन्क्लेव, पीतमपुरा, दिल्ली–110088	04.10.2021 रु. 52.55 लाख + पूर्ण एवं अन्तिम भुगतान तक भावी ब्याज, अन्य प्रभार तथा व्यय 07.12.2021 सांकेतिक	दूसरी मंजिल पर एक दुकान वाली संपत्ति जिसका निजी नंबर 388/201, मुख्य प्रवेश द्वार का उपयोग करने के सामान्य अधिकार के साथ-साथ दूसरी मंजिल तक जाने के लिए सीढ़ियां, बिना छत के अधिकार के, नगरपालिका संख्या 388, पहली मंजिल पर आम रास्ता और शौचालय, संपत्ति संख्या 388 का हिस्सा, भूमि के आनुपातिक हिस्से के साथ, मेन रोड, खारी बावली, दिल्ली, माप 123 वर्ग फीट, श्रीमती रश्मि बंसल के नाम पर	হ. 2.06 লাख (04.10.2023) হ. 25000/-	05.10.2023 को 11.00 बजे पूर्वा. से 04.00 बजे अप.	ज्ञात नहीं श्री एच.एस. कर्दम (मो. नं.8171589938) अधिकृत प्राधिकारी, सर्किल सस्त्र पूर्वी दिल्ली
	आसफ अली रोड (027520) मैसर्स गौरव सिक्योरिटी सर्विसेज (कर्जदार) प्रोपराइटर सुरेंद्र कुमार शर्मा, पताः बी-21, खसरा नं. 831, मंडावली फजलपुर, वेस्ट विनोद नगर, दिल्ली-110092 सुरेंद्र कुमार शर्मा, 106, बाल्को अपार्टमेंट, प्लॉट नं. 58, आई.पी एक्सटेंशन, पटपड़गंज, दिल्ली-110092, इसके अलावाः ए-61/सी-13, गली नं. , वेस्ट विनोद नगर, दिल्ली-110092 श्रीमती मीना शर्मा (गारंटर), 106, बाल्को अपार्टमेंट, प्लॉट नं. 58, आई.पी एक्सटेंशन, पटपड़गंज, दिल्ली-110092, इसके अलावाः ए-61/सी-13, गली नं. , वेस्ट विनोद नगर, दिल्ली-110092, पताः बी-21, खसरा नं. 831, मंडावली फजलपुर, वेस्ट विनोद नगर, दिल्ली-110092	01.02.2023 रु. 29.44 लाख + पूर्ण एवं अन्तिम भुगतान तक भावी ब्याज, अन्य प्रभार तथा व्यय 13.04.2023 सांकेतिक	प्लॉट नंबर बी-21 वाली एक आवासीय संपत्ति, अंतिम मंजिल तक संपूर्ण निर्माण के साथ, खसरा नंबर 831, वेस्ट विनोद नगर मंडावली फजलपुर इलाका शाहदरा, दिल्ली 110092	হ. 6.27 লাख (04.10.2023) হ. 25000/−	05.10.2023 को 11.00 बजे पूर्वा. से 04.00 बजे अप.	ज्ञात नहीं श्री एच.एस. कर्दम (मो. नं.8171589938) अधिकृत प्राधिकारी, सर्किल सस्त्र पूर्वी दिल्ली
	गुरुद्वारा रोड, दिल्ली श्री अजहर आलम पुत्र मोहम्मद आशिक आलम और श्री अल्फाज आलम पुत्र मोहम्मद अब्दुल रहीम (कर्जदार) पताः डब्ल्यूजेड-520, दूसरी मंजिल, गली नंबर 1, श्रीनगर, गांव शकूरपुर, दिल्ली-110034 इसके अलावा पताः 102/4, बिशन स्वरूप कॉलोनी, पानीपत, हरियाणा-123103 श्री अल्फाज आलम पुत्र मोहम्मद अब्दुल रहीम (कर्जदार) पताः मकान नंबर 87, डब्ल्यू नंबर 11, भागवाला मोहल्ला, मेट्रो कॉपोर्रेशन, समालखा, पानीपत, हरियाणा-132101, साथ हीः न्यू रेडियो मेट्रो कॉपोर्रेशन, समालखा, पानीपत, हरियाणा-132101 श्रीमती सलमा अमानी पत्नी अजहर आलम (गारंटर) पताः डब्ल्यूजेड-520, दूसरी मंजिल, गली नंबर 1, श्रीनगर, गांव शकूरपुर, दिल्ली-110034	13.06.2023 रु. 13.57 लाख + पूर्ण एवं अन्तिम भुगतान तक भावी ब्याज, अन्य प्रभार तथा व्यय 23.08.2023 सांकेतिक	छत/टेरेस के अधिकार के बिना पूरी दूसरी मंजिल, निर्मित संपत्ति संख्या डब्ल्यूजेड- 520, गली नंबर 1, प्लॉट संख्या 41, मुस्तातिल संख्या 30 किला संख्या 20/2, 11 में से, ग्राम शकूरपुर कॉलोनी श्री नगर, शकूरबस्ती, दिल्ली-110034 के क्षेत्र में, माप 75 वर्ग गज, श्री अजहर आलम एवं एसएच. अल्फाज आलम के नाम पर	হ. 32.40 লাख হ. 3.24 লাख (04.10.2023) হ. 25,000/−	05.10.2023 को 11.00 बजे पूर्वा. से 04.00 बजे अप.	ज्ञात नहीं श्री एच.एस. कर्दम (मो. नं.8171589938) अधिकृत प्राधिकारी, सर्किल सस्त्र पूर्वी दिल्ली

प्राधिकृत अधिकारी

...the name you can BANK upon!

ई-नीलामी बिक्री के संक्षिप्त नियम एवं शर्तें : बिक्री प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 में निर्धारित नियम एवं शर्तों तथा आगे निम्निखित शर्तों के अधीन होगी : 1. सम्पत्तियों की बिक्री ''जाँ है वहीं है'' तथा ''जो कुछ भी है वहीं है'' आधार पर की जा रही है। 2. यहाँ ऊपर अनुसूची में निर्दिष्ट प्रतिभूत आस्तियों के विवरण अधिकृत प्राधिकारी की सर्वोत्तम सूचना के आधार पर बताये गये हैं, किन्तु अधिकृत प्राधिकारी इस उद्घोषणा में किसी त्रुटि, गलतबयानी अथवा विलोपन के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। 3. बिक्री वेबसाइट https://www.mstcecommerce.com पर प्रावधानित ई-नीलामी प्लेटफार्म के माध्यम से नीलानी की उपर्युक्त तिथि एवं समय तक होगी। 4. बिक्री के विस्तृत

नियम एवं शर्तों के लिए कृपया www.ibapi.in, www.tenders.gov.in,www.mstcecommerce.com, https://eprocure.gov.in/epublish/app. देखें। सरफैसी अधिनियम, 2002 के नियम 8(6) के तहत सांविधिक बिक्री सूचना

अधिकृत प्राधिकारी. पंजाब नेशनल बैंक देनांक : 15.09.2023 स्थान : नई दिल्ली

www.readwhere.com

8 MONTHS BEFORE HINDENBURG

Mauritius revoked licences of firm that invested in Adani

Regulator cited breach of laws to curb money laundering

JAY MAZOOMDAAR New Delhi, September 15

IN MAY 2022, a full eight months before the Hindenburg report flagged alleged irregularities in the Adani Group, Mauritian financial regulator Financial Services Commission (FSC) revoked the business and investment licences of Emerging India Fund Management Ltd (EIFM), the controlling shareholder of two Mauritius-based funds that invested in listed Adani companies and are now under probe.

The FSC Enforcement Committee's decision alleged breach by EIFM of several provisions of laws meant to curb money laundering and ensure corporate governance.

In its licence revocation notice on May 12, 2022, a copy of which is available on the regulator's website, the FSC held that EIFM"acted in breach" of various sections of the Financial Services Act, the Securities Act, the Financial Intelligence and Anti-Money Laundering Regulations (2003) and 2018) and the Code on the Prevention of Money Laundering and Terrorist Financing.

These alleged breaches relate to non-compliance on maintaining records of clients and transactions, accounting and auditing standards; safeguards against dummy officers, corporate governance and the prescribed internal mechanism to identify risks of money laundering and terrorist financing.

This assumes significance given that under the Prevention



These alleged breaches relate to non-compliance on maintaining records of clients and transactions, accounting and auditing standards

of Money Laundering Act (PMLA), SEBI records show, Emerging India Focus Funds and EM Resurgent Fund, two of the 13 overseas Adani investors under investigation, had declared EIFM as their controlling shareholder.

The revocation of licences means EIFM, effectively, began winding down operations.

Confirming this, spokesperson of the FSC told The Indian Express: "When a licence is revoked, it is on a permanent basis. Following the revocation... licensees are directed to initiate the necessary actions for the orderly dissolution of their business and the discharge of their liabilities."

Asked about the implication of the revocation of EIFM's licences, an Adani Group spokesperson said: "We will not be able to comment on matters pertaining to independent individual shareholders."

The EIFM, incidentally,

found no mention in the Hindenburg report. According to the FSC, EM Resurgent Fund was dissolved in February 2022 while Emerging India Focus Funds is a live company.

After the publication of the Hindenburg report this January, a top official of the Mauritian FSC had said, in an interview, that an "initial assessment" of the entities associated with the Adani Group in Mauritius did not reveal any breach of law.

The Indian Express asked the spokesperson whether EIFM was part of that assessment.

The spokesperson said the FSC "is unable to share any further information on this matter since it is constrained by the provisions of the FSA in its ability to share confidential information about its licensees."

Significantly, EIFM was held guilty of breaching both the 2003 and 2018 versions of Mauritius's Financial Intelligence and Anti-Money Laundering Regulations. During March-April 2018, as per last available records, EIFM's two Mauritius funds held 3.9% of Adani Power Limited, 3.86% of Adani Transmission Limited, and, at least, 1.73% of Adani Enterprise Limited.

From Jatras to an archery juggernaut

MIHIR VASAVDA September 15

THE PHOTO SPEAKS the proverbial thousand words. It's of a young girl, no more than six or seven years old. Dressed ostensibly like Rani Lakshmi Bai. Holding up a bow with her left hand and pulling an arrow with her right. Eyes locked on the target. Body, though awkwardly positioned, still as a rock. Ready to shoot. It isn't a competition shot.

The young girl in the warrior queen avatar was among the hundreds taking part in the annual jatra – festival – that passed through her village near Amravati, Maharashtra. For close to a decade and a half, dhanushya-baan has become a regular feature at these village carnivals.

But what started as fancydress events have now turned into a grassroots sports revolution."Today,there are thousands of archers across various districts of Maharashtra," says Gopichand Swami.

Amathematicsteacherfrom Shirgaon in Satara, Gopichand assures the number is exaggerated. He has seen up-close children, as tall as a bow-and-arrow held upright, walk into the academies dotted across the state, hundreds of pre-teens lining up at local tournaments and the rising participation numbers at district-level meets.

It's after passing through this grind that Gopichand's daughter Aditi has emerged as the world's latest sensation – only 17, she is already the youth and senior world champion in compound archery.

The girl with the golden arrow is one of India's biggest medal hopes at the Hangzhou Asian Games. And she, Gopichand says, is the byproduct of a robust system that has been more than 15 years in the making.

Aditi isn't the only one. Parth Salunkhe, Prathamesh Jawkar, Ojas Deotale and Tushar Shelke are all medal contenders in a sport that's synonymous with South Korea. The majority of them have

emerged as world-beaters in the





Children as tall as the bow and arrow play dress-up and line up for bow-and-arrow competitions at a traditional Jatra, or a village fair.

compound category, which is right now a non-Olympic event. However, with the category set to make its debut at the LA Games in 2028, the rise of compound archers bodes well for India.

Grassroots programme

And behind their emergence is a unique grassroots programme, launched by former India archer and coach Pramod Chandurkar. "In around 2004-05, I was reading stories about China's success at the Olympics; how a child started training in swimming or gymnastics from a very young age," Chandurkar, now the secretary of the Archery Association of India, says. "So I thought, why can't we do it in archery?"

It's not the first time someone has asked the 'if-China-canwhy-can't-we'question in India. But Chandurkar did not try to copy from their highly secretive playbook. He simply looked around himself for inspiration."I observed that in every village there was a strong tradition of organising jatras. At these jatras, often the first choice for kids who were aged 5 or 6 used to be dhanushya-baan.Of course, they never saw it as a sport. For them, it was just a recreational activity. But in that, I saw an opportunity," Chandurkar, who was the secretary of the Maharashtra Archery Association at the time, says.

Until then – the mid-2000s – the earliest age group for That, like in many other sports, was a handicap because in other countries, especially powerhouses like South Korea and China, training began at the age of 5 or 6, which meant that an Indian athlete, who usually started at 11 or 12 years, was playing catch-up even before stepping on the competitive field. To fix this anomaly, the Maharashtra Archery Association(MAA)collaborated with the festival organisers at a district level in the hope that the bowand-arrowevents would become a scouting ground for potential archers.

archers in India was under-14.

Chandurkar himself spoke to parents and encouraged them to send their children to these events. But in his conversations, he never sold them Olympic dreams."If I told the parents that I'll make your child an Olympian, they would think it's some kind of a scam," Chandurkar laughs.

So, it was packaged as a fancy-dress competition. Parents were urged to send their children to the ground dressed up as warrior princesses and princes, raja-maharajas and mythological figures. The concept did not need a lot of convincing. Just like that, from the malls in Baramati to the temple town of Shirdi, the parched lands in Beed to the plateaus of Satara, children dressed in the costumes of Lord Ram to Bahubali and everyone in

between started to pour in at the archery festivals, where coaches kept a keen eye on anyone who would show some promise.

There wasn't any dearth of coaches either, given that the MAA had spent nearly five years before launching the talent hunt programme on developing coaches and judges across the

Shooting for fun

The coaches weren't looking for bulls-eye or inner-10s. Neither were these competitions where every shot was scored and medals would be handed out at the end. There were no losers or winners either. Just a harmless fun activity where kids were given a bow and an arrow, and asked to have a go. "We didn't even want to see if

the child would hit the target, he or she was too young to understand the nuances of the sport. But it encouraged parents to bring their children to the ground. And instead of the pressure of winning or fear of losing, we wanted to see if the children would enjoy archery," Chandurkar says. "The purpose of that project wasn't to see how many medals they won. The idea was to generate interest in the child at a young age."

Praveen Sawant, the coach responsible for producing world champions Aditi Swami and Parth Salunkhe, adds: "These

under-9 events were a game changer.Parentswere thrilled to see their children dressed up as raja-maharajas and the children were excited to shoot an arrow. Nagar, Shirdi, Nanded, Buldhana...everywhere we got a very good response."

From a handful of unregistered archers until the end of last century, Maharashtra now has approximately 6,000 registered archers across different age groups in recurve, compound and Indian (where bamboomade bows and arrows are used) styles, Chandurkar claims.

He is careful not to attribute the entire success to the fancy dress events at the village festivals. "But they helped us create an environment for mass participation," Chandurkar says. "It helped us to popularise the sport at a village and district level." Archery's popularity in her

village was the reason Aditi got lured to the sport. "And we had seen that there was a system in place," Gopichand, her father, It wasn't smooth sailing al

the time. As in most other sports, the state association was financially crippled and with few willing to sponsor grassroots-level events, it became tougher with every passing year to sustain. But it helped that Chan-

durkar had his own archery equipment manufacturing business, which he started soon after leaving the position of a coach with the Sports Authority of India in 2000. "I don't know how, but we

managed it somehow. For one championship, we need 50 targets. We didn't have the money to buy that but because I was into that business, we'd borrow the targets for a tournament," Chandurkar says. Today, the system works on a

virtual auto-pilot. Coaches like Sawant are peppered across the state, finding young talent and honing them. The success of the 'pilot project' has resulted in it being implemented on a similar scale in other regions, armed by a PSU sponsor which has eased the financial burden on the fed eration. Like Maharashtra Andhra Pradesh, too, is turning out to be another hub.

FROM THE FRONT PAGE

Tata Steel to get £500 mn from UK

THE PROPOSED PROJECT would ensure continuity of steelmaking at Port Talbot and transform Tata Steel UK into a sustainable, capital-efficient and profitable business. With the UK government support, the project has a "robust" investment case, the statement added.

Tata Steel UK will soon start consultation on the proposal and the transition period for many of the existing assets such as blast furnaces and coke ovens — which are reaching the end of their operational life. "Tata Steel UK has been fac-

ing significant challenges due to the heavy end facilities approaching their end of life. The proposed project, with one of the largest investments in the UK steel industry in recent decades, provides an opportunity for an optimal outcome for all stakeholders," Tata Steel's CEO & MD TV Narendran said.

Tata Steel also announced plans to invest about £20 million over four years to set up two additional Centres of Innovation & Technology in the UK. These

MAGNUM VENTURES LIMITED CIN: L21093DL1980PLC010492 Regd. Office: HNO-MN01, Hub and Oak E-14, Lower Ground Floor, Defence Colony, New Delhi-110024 Tel: +91-11-42420015 E-mail: info@magnumventures.in Website: www.magnumventures.in

3[™] Corrigendum to the Notice of 43rdAnnual General Meeting The 3rd Corrigendum is being issued in continuation of the Notice dated 21st August 2023 for the 43rd Annual General Meeting (AGM) of the Company, which is to be held on Wednesday, 20 September 2023 through Video Conferencing (VC).

The Shareholders of the Company are requested to take note off the corrections as appearing with respect to Para Q of the Explanatory Statement of Agenda/Item no. 8 pursuant to Section 102 of the Companies Act, 2013 which is available on (http://www.magnumventures.in/pdf/3rd-Corrigendum-to-Notice-of-AGM.pdf). This 3rd Corrigendum is also available

www.magnumventures.in and website of BSE Limited at www.bseindia.com and NSE Limited at www.nseindia.com All other contents of the Notice of the 43rd Annual General Meeting and Corrigendum

on Company's website a

no 1 & 2 will remain same as before. For Magnum Ventures Limited

Pardeep Kumar Jain Date: 15/09/2023 Managing Director Place: Ghaziabad

centres would be set up at the Henry Royce Institute at Manchester (for advanced materials research) and at Imperial College London (for research in Sustainable Design & Manufacturing).

JJM - Kottayam District - Providing transmission mains, Construction of service reservoirs, Providi Distribution networks and FHTCs and allied works in different Panchayaths repectively (1)Mundakaya Package 3, (2),(3),(4) Koruthode Package 4,5,6, (5) Vakathanam Package1A, (6) Karoor Package 1- 6MLI WTP and allied works (7) Erumeli Package 6 EMD: Rs.5,00,000/- Tender fee: Rs. 16540 +(2978) GST Each

KWA-JB-GL-6-1213-2023-24

Last Date for submitting Tender: 28-09-2023 12:00: pm Phone: 04812562745 Website

PPFAS Mutual Fund

www.kwa.kerala.gov.in, www.etenders.kerala.gov.in

PPFAS Asset Management Private Limited (Investment Manager to PPFAS Mutual Fund)

Registered Office: - 81/82, 8th Floor, Sakhar Bhavan, Ramnath Goenka Marg, 230 Nariman Point, Mumbai - 400 021. INDIA. Tel.: 91 22 6140 6555 Fax: 91 22 6140 6590. E-mail: mf@ppfas.com. Website: www.amc.ppfas.com CIN No: - U65100MH2011PTC220623

THIS NOTICE -CUM -ADDENDUM SETS OUT CHANGES TO BE MADE IN THE STATEMENT OF ADDITIONAL INFORMATION (SAI) OF PPFAS MUTUAL FUND ('THE FUND')

Introduction of new clauses under the section "Investor Grievances Redressal Mechanism" Investor(s)/Unitholder(s) are requested to note that, the following clauses shall be included under the point 'Investor

Grievances Redressal Mechanism' under section - V - C - 'General Information' of SAI, with immediate effect:

(A) SEBI Complaints Redressal System ("SCORES"): SCORES is a centralized web-based complaints redressal system providing an administrative platform for aggrieved investors, whose grievances, pertaining to the securities market, remain unresolved by the

facilitates the investors to lodge complaints and subsequently view its status online. The listed companies, SEBI registered intermediaries and SEBI recognized MIIs to whom complaints are forwarded through SCORES, shall be required to suitably redress & upload the status thereof on the SCORES portal within the stipulated timelines. The investors/unitholders can access the SCORES Portal at www.scores.gov.in. For more details,

investor(s)/unitholder(s) may refer SEBI's 'Master Circular on the redressal of investor grievances through the

SCORES Platform' available under 'Investor Desk' of the Fund's website www.amc.ppfas.com

concerned listed company, registered intermediary or recognized market infrastructure institutions (MIIs). It

(B) Online Dispute Resolution Portal:

Pursuant to SEBI Master Circular no. SEBI/HO/OIAE/OIAE IAD-1/P/CIR/2023/145 dated July 31, 2023, a common Online Dispute Resolution ('ODR') Portal has been established in order to harness online conciliation and online arbitration for resolution of disputes arising in the Indian Securities Market.

Investor(s)/Unitholder(s) are advised to take up their grievance(s) first by lodging a complaint directly with the Fund/ PPFAS Asset Management Private Limited ('AMC'). If the grievance is not redressed satisfactorily, they may escalate the same through the SCORES portal in accordance with the process laid out in SCORES guidelines. After exhausting all available options for resolution of the grievance, if the investor(s)/ unitholder(s) are still not satisfied with the outcome, they may initiate dispute resolution through the ODR Portal. Investor(s)/Unitholder(s) may initiate the dispute resolution through the ODR Portal only when such complaint/dispute is not under consideration by the Fund/AMC and SCORES platform or not pending before any arbitral process, court, tribunal or consumer forum or are non-arbitrable in terms of Indian law.

Further, as stipulated by the above referred circular, all existing and new investor(s)/ unitholder(s) agree to undertake online conciliation and/or online arbitration by participating in the ODR Portal and/or undertaking dispute resolution in the manner specified in the aforesaid SEBI circular dated July 31, 2023.

The above referred SEBI circular along with the link to access the ODR portal viz. https://smartodr.in is also available on the website of the Fund viz. www.amc.ppfas.com

All other provisions of the SAI of the Fund except as specifically modified herein above remain unchanged. This notice - cum - addendum shall form an integral part of the SAI of the Fund as amended from time to time and shall override the conflicting provisions, if any in this regard.

> For PPFAS Asset Management Private Limited (Investment Manager to PPFAS Mutual Fund)

Place: Mumbai Date: September 15, 2023

Sd/-Director

MUTUAL FUND INVESTMENTS ARE SUBJECT TO MARKET RISKS, READ ALL SCHEME RELATED DOCUMENTS CAREFULLY.





NATIONAL TEXTILE CORPORATION LIMITED, (WRO), MUMBAI NTC House, 15 N. M. Marg, Ballard Estate, Mumbai - 400 001 Tel.: +91 22 22686600 Fax: +91 22 22686631 Website: www.ntcltd.org

TENDER NOTICE FOR SALE OF TRANSFERABLE DEVELOPMENT RIGHTS (T.D.R)

NTC invites e-tender cum e-auction through MSTC under two bids system from reputed bidders for "SALE OF T.D.R." Interested bidders may please visit website for detail tender document - https://www.mstcecommerce.com/eproc or www.ntcltd.org & https://eprocure.gov.in.

Chief General Manager (Task Force)

PUBLIC NOTICE

FORM NO. CAA 2

(PURSUANT TO SECTION 230 (3) OF THE COMPANIES ACT, 2013 AND RULE 6 AND 7)

BEFORE THE HON BLE NATIONAL COMPANY LAW TRIBUNAL CHENNAI BENCH AT CHENNAI

CP(CAA)/40(CHE)/2023 IN CA(CAA)/32(CHE)/2023

IN THE MATTER OF SECTION 232 READ WITH SECTION 230 OF THE COMPANIES ACT, 2013 AND RULES MADE THEREUNDER

IN THE MATTER OF SCHEME OF AMALGAMATION BETWEEN SPAN SHELTERS PRIVATE LIMITED (TRANSFEROR COMPANY) AND WITH

SPAN VENTURES PRIVATE LIMITED (TRANSFEREE COMPANY) AND

THEIR RESPECTIVE MEMBERS

SPAN SHELTERS PRIVATE LIMITED ... 1 Petitioner / Transferor Company SPAN VENTURES PRIVATE LIMITED ... 2nd Petitioner / Transferee Company All the above Two(2) companies having their Registered Office at: No.77, Main Road, Podanur, Coimbatore- 641 023, Tamil Nadu. Rathinam college campus, KPM Nagar, Pollachi road, Eachanari,

NOTICE FOR SANCTION OF THE SCHEME All the concerned authorities

Coimbatore- 641 021, Tamil Nadu.

NOTICE is hereby given that by an Order dated 16.08.2023, the National Company Law Tribunal, Chennai Bench ("NCLT") has ordered to issue notices regarding the sanction of Scheme of M/s. Span Shelters Private Limited("Transferor Co.") with M/s. Span Ventures Private Limited. (Transferee Co.) to the authorities concerned to receive observations, if any within 30 days from the date of the receipt of the notice. Further, the NCLT has fixed the date of hearing the Petition for sanction of the scheme on 11.10.2023 and further directed to issue public announcement of the hearing in "Financial Express" (All India Edition) and in "Dinamani" Tamil (Tamilnadu Edition) notless than 10 days before the aforesaid date fixed for hearing.

In pursuance of the said Orders and as directed therein notice is hereby given to the authorities concerned-Registrar of Companies. Coimbatore, Regional Director, Southern Region, Official Liquidator, and the Income Tax Department, Corporate Ward 1 and Corporate Ward 3, Coimbatore.

Copies of the aforesaid Scheme, and of the statement under Section 230 of the Companies Act, 2013 read with Section 102 of the Companies Act. 2013 and Rule 6 of the Companies (Compromises. Arrangements and Amalgamations) Rules, 2016 can be obtained free of charge at theRegistered Office of the Company situated Rathinam college campus, KPM Nagar, Pollachi road, Eachanari, T.N or from theirCounselMr.A.G.Sathyanarayana, Advocatehaving office at No. F-13. MookambikaComplex. #No.7 (old #4), Lady Desika Road, Mylapore, Chennai -600004.

Any representations to the Scheme to be made within 30 days from the date of the receiptof the notice.

Dated at Chennai on this the 06th day of September, 2023. DIRECTOR

MADAN A. SENTHIL //sd// DIN: 01710920

Bombay Dyeing

THE BOMBAY DYEING AND MANUFACTURING COMPANY LIMITED

Registered Office: Neville House, J.N. Heredia Marg, Ballard Estate, Mumbai 400 001 Contact Details: Email: grievance redressal cell@bombaydyeing.com

Phone: (91) (22) 61010515; Website: www.bombaydyeing.com NOTICE OF EXTRA-ORDINARY GENERAL MEETING

NOTICE is hereby given that an Extra-Ordinary General Meeting (EGM) of the

Members of The Bombay Dyeing and Manufacturing Company Limited will be held on Wednesday, 11th October, 2023 at 3.00 p.m. at Birla Matushri Sabhagar

19, Sir Vithaldas Thackersey Marg, New Marine Lines, Mumbai 400020 to transact the business as set out in the Notice of the EGM. The Notice for calling the EGM along with Chairman's message, attendance slip and proxy form have been sent to the Members at their registered address by courier/ post and electronically to those Members whose email addresses are registered with the depository participants / Company / KFin Technologies Limited ("KFin") The same is also available on the website of the Company viz www.bombaydyeing.com, websites of the National Stock Exchange of India Limited i.e. www.nseindia.com, BSE Limited i.e. www.bseindia.com and at the website of NSDL i.e. www.evoting.nsdl.com. The dispatch of Notice of EGM of the Company has been completed on Friday, 15th September, 2023.

In compliance with provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013 read with the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 and Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and the Secretarial Standard on General Meetings (SS-2), the Company is pleased to provide its Members, the facility to exercise their right to vote on resolutions proposed to be considered at the EGM by electronic means. The facility of casting the votes by the Members using an electronic voting system from a place other than venue of the EGM ("remote e-voting") will be provided by National Securities Depository Limited ("NSDL")

the Members of the Company, holding shares either in physical form or in dematerialised form, as on the cut-off date of Wednesday, 4th October, 2023, may cast their vote by remote e-voting. The remote e-voting module shall be disabled by NSDL for voting thereafter. Once the vote on a resolution is cast by the Member, such Member will not be allowed to change it subsequently The voting rights of the Members shall be in proportion to the equity shares held by them in the paid-up equity share capital of the Company as on

Wednesday, 4th October, 2023 ('cut-off date'). Any person, who is a Member

of the Company as on the cut-off date is eligible to cast vote on all the

resolutions set forth in the Notice of EGM using remote e-voting.

The remote e-voting period commences on Sunday, 8th October, 2023 at 9:00

a.m. and ends on Tuesday, 10th October, 2023 at 5:00 p.m. During this period

The Company shall also provide electronic voting system at the venue of the EGM. Members who have not voted through remote e-voting are entitled to cast their vote at the meeting. The Members who have cast their vote though remote e-voting prior to the meeting may also attend the meeting but shall not be entitled to cast their vote again.

Any person, who acquires shares of the Company and becomes the Member of the Company after sending of the Notice and holding shares as on cut-off date i.e. Wednesday, 4th October, 2023 may obtain the login ID and password by sending an email to evoting@nsdl.co.in or grievance redressal cell@ bombaydyeing.com.

For details relating to remote e-voting, and voting at the EGM venue, please refer to the Notice of the EGM. In case of any queries relating to voting by electronic means, please refer to the Frequently Asked Questions (FAQs) and e-voting user manual for shareholders available at www.evoting.nsdl.com or call on.: 022 - 4886 7000 and 022 - 2499 7000 or send a request to Ms. Pallavi Mhatre, at evoting@nsdl.co.in.

Persons entitled to attend and vote at the meeting, may vote in person or by proxy/ through authorised representative, provided that all proxies in the prescribed form/ authorization duly signed by the person entitled to attend and vote at the meeting are deposited at the Registered Office of the Company, not later than 48 hours before the meeting.

The Company has appointed Mr. P.N. Parikh (FCS 327, CP 1228) and failing him, Mr. Mitesh Dhabliwala (FCS 8331, CP 9511) and failing him, Ms. Sarvari Shah (FCS 9697, CP 11717) of Parikh & Associates, Practicing Company Secretaries, as the Scrutinizer for conducting the Remote e-Voting process and Voting during the Extra-Ordinary General Meeting in a fair and transparent manner. The results shall be declared not later than two working days of conclusion of the EGM. The results declared along with the report of the Scrutinizer will be placed on the website of the Company www.bombaydyeing.com and on the website of NSDL immediately after the declaration of results by the Chairman or any one Director of the Company. The results shall also be immediately forwarded to the National Stock Exchange of India Limited and BSE Limited, where the equity shares of the Company are listed. The results shall also be displayed on the Notice Board at the Registered Office of the Company.

For The Bombay Dyeing & Manufacturing Company Limited

Place: Mumbai

New Delhi

Date: 15th September, 2023

Sd/-Sanjive Arora

Company Secretary

financialexp.epap.in